§§ कार्यालय जिला पंचायत, दुर्ग (छ.ग.) §§

–:::: विज्ञापन ::::–

क्र./ 5311/जि.पं./PMAY-G/2017 दुर्ग, दिनांक 17/11/2017

जिला पंचायत दुर्ग में **"प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** अंतर्गत **विकासखण्ड समन्वयक के 01 रिक्त पद पर संविदा नियुक्ति प्रवर्ग अनुसूचित जनजाति** की पूर्ति किये जाने के लिये आवेदन दुर्ग जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग के नाम से **दिनांक 30.11.2017** तक कार्यालयीन दिवस एवं समय पर आमंत्रित किये जाते हैं। पद का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	पदनाम	पद की संख्या	संविदा वेतन	योग्यता	मेरिट हेतु अंक का निर्धारण
1	2	3	4	5	6
1	विकासखण्ड समन्वयक	1 पद (अनुसूचित जनजाति वर्ग)	28080/– (एक मुश्त प्रतिमाह)	**अनिवार्य योग्यता** 1 प्रथम श्रेणी में एम.बी.ए./बी.ई. सिविल/डिप्लोमा सिविल **अतिरिक्त योग्यता** 2 शासकीय एवं गैर शासकीय कार्य में अनुभव के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी।	हायर सेकेण्डरी में प्राप्त अंकों पर 60% कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 40%

नियम एवं शर्तें :–

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग के नाम से दिनांक 30.11.2017 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय 5.30 बजे तक प्राप्त किये जावेंगे। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे। निर्धारित समय–सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा में छूट के संबंध में समय–सीमा पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 01 जनवरी 2017 के आधार पर की जावेगी।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं उसके संबंध में शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
4. आवेदक को छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।
5. संविदा नियुक्ति अधिकतम तीन वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिये निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।

6. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ.9–1/2012/1–3 दिनांक 31 दिसम्बर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होंगी।
7. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत् अवकाश की पात्रता होगी।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
9. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह के पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
10. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु–लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
11. जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों का मैरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा और उनको कौशल परीक्षा के लिये बुलाया जायेगा तद्उपरांत कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जावेगा।
12. सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा। 03 आवेदक को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा।
13. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
14. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
15. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।
16. आवेदक, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
17. आवेदक जिनकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
18. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
19. नियुक्ति के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग का निर्णय अंतिम एवं बन्धनकारी होगा।
20. आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप जिले की वेबसाईट **www.durg.gov.in** पर अवलोकन किया जा सकता है।

15/11/13

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत दुर्ग

D:/IAY/IAY Letters

आवेदन पत्र का प्रारूप
विकासखण्ड समन्वयक के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत – ....

छत्तीसगढ़

अभ्यर्थी स्व–प्रमाणित फोटो चिपकाये

1. आवेदक का पूरा नाम (अ) हिन्दी में : ....
   (ब) अंग्रेजी में : ....
2. लिंग (महिला / पुरूष) : ....
3. जन्म तिथि (अ) अंको में : ....
   (ब) शब्दों में : ....
   (स) दिनांक 01.01.2017 को आयु वर्ष : .... माह .... दिन...........
4. वर्ग (सामान्य / अ.जा. / अ.ज.जा. / अपिव) ....
5. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (हिंदी में) : ....
   : ....
6. स्थायी पता (हिंदी में) : ....
   : ....
7. मोबाईल नबर : ....
8. ई–मेल आई डी : ....
9. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :–

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड / वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्राप्तांको का प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हायर सेकेन्ड्री						
2	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता						
3	अन्य योग्यता						

10. अनुभव का विवरण निम्नानुसार :–

क्र	संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव तिथि		
			दिनाक स	दिनाक तक	कुल वर्ष
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

11. वैवाहिक स्थिति :–

क. विवाहित / अविवाहित : ....

ख. विवाहित होने पर निम्न जानकारी भरी जावें : ....

विवाह का दिनाक : ....

ग. परिवार के संतान का विवरण :–

क्र.	नाम	पुत्र / पुत्री	जन्म दिनाक
1.			
2.			
3.			

12. संलग्न प्रणाम पत्रों की सूची।

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

....

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मै एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारियां पूर्ण एव सत्य है, तथा किसी भी स्तर पर असत्य पाये जाने पर मेरी सेवाएं समाप्त कर मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

दिनाक : ....

स्थान : ....

....

आवेदक का नाम एव हस्ताक्षर